:: प्रेस नोट ::

नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी व ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के सरगना सहित तीन गिरफ्तार नाजायज असलाह, कारतूस, मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड आदि बरामद।

संक्षिप्त विवरण घटना

परिक्षेत्रीय कार्यालय, आगरा की साइबर क्राइम यूनिट को द्वारा ई–मेल श्री जोयल गोन्जालविस निवासी बान्द्रा वेस्ट, मुम्बई व भूमि सोनी निवासी अहमदाबाद, गुजरात के शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिनमें महाराष्ट्र एवं गुजरात में चर्चित अखबारों में नौकरी लगाने के नाम पर विज्ञापन देकर रजिस्ट्रेशन एवं सिक्योरिटी के नाम पर उत्तर प्रदेश के बैंक खातों में रकम जमा कराकर ठगी व धोखाधड़ी किये जाने की घटना अंकित की गयी थी।

उपरोक्त शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र श्री ए.सतीश गणेश द्वारा साइबर क्राइम यूनिट को इन घटनाओं में सम्मिलित अपराधियों को चिन्हित करने एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु मार्ग दर्शन कर शीघ्र कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।

घटना का अनावरण–

साइबर क्राइम यूनिट, आगरा परिक्षेत्र द्वारा आवेदकगण से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जो डिटेल प्राप्त की गयी, वह सभी फर्जी निकलीं। इस अपराध में शामिल अपराधी अत्यधिक शातिर निकले, जिन्होंने सिम कार्ड से लेकर बैंक खातों तक के लिए फर्जी एवं कूटरचित अभिलेखों का प्रयोग किया था। इस प्रकार अपराधियों को चिन्हित करना एक कठिन चुनौती थी। इस चुनौती को देखते हुए टीम ने उन खातों की पहचान की, जिनमें अपराधियों के खाते से रकम का हस्तान्तरण किया गया था। इनमें से अधिकांश विज्ञापन एजेंसियों के बैंक खाते थे, जिनमें पेटीएम व अन्य वॉलेट के माध्यम से भुगतान किया गया था। विज्ञापन निकलवाने के लिए ऑनलाइन सम्पर्क किया गया था तथा पहचान के रूप में फर्जी आधार कार्ड व अन्य अभिलेख स्कैन कर ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किये गये थे। ऐसे ही कुछ दस्तावेजों के आधार पर पुलिस टीम द्वारा अपराधियों की पहचान स्थापित की गयी।

गिरफतारी अभियुक्तगण–

साइबर क्राइम यूनिट, आगरा परिक्षेत्र द्वारा आवेदकगण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर अन्य तकनीकी साक्ष्य प्राप्त कर उनका विश्लेषण किया गया, तो पाया गया कि इस प्रकार के अपराध में आगरा के ग्रामीण क्षेत्र के अपराधी संलिप्त हैं। उक्त तकनीकी साक्ष्यों के गहन विश्लेषण के आधार पर दिनांक 27.07.2019 को टीम द्वारा कस्बा बाह के मोहल्ला बिजौली से एक मकान में इस प्रकार की घटना करते हुए तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं उनके कब्जे से अपराध में प्रयोग की जा रही बैंक पास बुक, ए.टी.एम कार्ड, मोबाइल फोन व भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेजों के साथ–साथ दो नाजायज असलाह व कारतूस भी बरामद किये गये।

विवरण अभियुक्तगण –

1– मुकेश बाबू पुत्र वेदी राम निवासी प्रतापपुर, थाना बाह, जनपद आगरा, हाल पता–मोहल्ला बिजौली, कस्बा व थाना बाह, जनपद आगरा। उम्र 39वर्ष

2– विजयकान्त पुत्र वेदी राम निवासी प्रतापपुर, थाना बाह, जनपद आगरा, हाल पता–मोहल्ला बिजौली, कस्बा व थाना बाह, जनपद आगरा। उम्र 35वर्ष

3– कृष्णवीर उर्फ सप्पू पुत्र ताराचन्द निवासी ग्राम हीरा सिंह की ठार, थाना नगला सिंघी, जनपद फिरोजाबाद। उम्र 26वर्ष।

सक्रिय पारिवारिक गैंगः–

इस घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त मुकेश बाबू व विजयकांत सगे भाई हैं। अभियुक्त कृष्णवीर, अभियुक्त विजयकांत का सगा साला है। अभियुक्त मुकेश की पत्नी कृष्णा उर्फ छोटी भी सक्रिय रूप से अपराध में लिप्त है। अभियुक्त मुकेश बाबू ने यह अपराध अपने सगे साले ग्राम दड़हेता गढ़वार, थाना जैतपुर निवासी इन्द्रपाल पुत्र रामपाल से लगभग 10 वर्ष पूर्व सीखा है। अभियुक्त इन्द्रपाल लम्बे समय से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश व राजस्थान में विज्ञापन देकर ऐसे अपराध करता रहा है। वह अब भी इस अपराध में सक्रिय है। कस्बा पिनाहट में मकान बनाकर अपने एक अन्य अपराधी साथी मैक्सी व अन्य काफी संख्या में सहयोगियों के साथ कर रहा है। अभियुक्त मुकेश का दूसरा साला भूरा भी अलग गैंग बनाकर इसी प्रकार के अपराध कर रहा है। भूरा के गैंग में रामवीर, सुरेन्द्र, कमलेश निवासी ग्राम दड़हेता व राजवीर निवासी रहनकला, एत्मादपुर, आगरा सक्रिय रूप से सम्मिलित हैं।

विवरण बरामदगी–

अभियुक्तगण से मौके पर की गयी बरामदगी का विवरण निम्नवत् है–

1. 18 अदद मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियों के।
2. 01 अदद इण्टरनेट डोंगल।
3. 10 अदद पासबुक आगरा, फिरोजाबाद व अन्य स्थानों पर स्थित विभिन्न बैंकों की।
4. 04 अदद फर्जी पैन कार्ड।
5. 04 अदद फर्जी आधार कार्ड।
6. 04 अदद फर्जी वोटर आईडी कार्ड
7. 01 अदद पिस्टल व 02 अदद कारतूस जिंदा 32बोर।
8. 01 अदद तमंचा व 03 अदद कारतूस जिंदा 315 बोर।
9. लगभग दो दर्जन खोका कारतूस 32 व 315बोर के।
10. 28 अदद फोटोग्राफ विभिन्न व्यक्तियों के।
11. 06 अदद विभिन्न बैंकों के डेबिट कार्ड।
12. भारी मात्राा में विभिन्न कम्पनियों के विजिटिंग कार्ड।
13. एक दर्जन विभिन्न बैंकों के खाता खोलने के फार्म।
14. अन्य पीड़ितों द्वारा अपराधियों के खाते में जमा करायी गयी रकम का ई–चालान।
15. 02 अदद ई–बैंक फार्म।

अन्य विवरण–

अभियुक्त मुकेश बाबू व अन्य से पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि मुकेश बाबू ने अंकूपाल पुत्र भोलेबाबा, रमेश पाल निवासी राजनगर कालौनी, यमुना ब्रिज शाहदरा, थाना एत्माद्दौला, आगरा नाम से अपना आधार कार्ड बनवा रखा है। उक्त पते का कोई स्थान मौजूद नहीं है। अभियुक्त द्वारा अपराध में इसी पते का आधार कार्ड प्रयोग कर विभिन्न मोबाइल कम्पनियों के सिम कार्ड व मोबाइल वॉलेट पंजीकृत कराया गया है, ताकि पुलिस द्वारा पता फर्जी होने के कारण उसका पता न लगाया जा सके। मुकेश बाबू इस गैंग का सरगना है और वर्ष–2008 से इस अपराध में संलिप्त है। वह आज दिनांक तक किसी भी राज्य अथवा थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था। उसने यह भी बताया कि विगत् 10 वर्षों में उसने लगभग 02 करोड़ रुपये इस प्रकार की ठगी व धोखाधड़ी से अर्जित कर लिया है। उसने व उसके भाई विजयकांत ने कस्बा बाह के बिजौली मोहल्ला में अलग–अलग भूखण्ड खरीद कर दो मंजिला आलीशान मकान बनवा लिया है। वह शराब का शौकीन

है। वह और अन्य गैंगों के लोग प्रतिदिन जगह बदल–बदलकर शराब की पार्टी करते हैं एवं देर रात्रि घर लौटते हैं।

पत्राकारिता एवं अपराध का मिला–जुला कैरियरः–

अभियुक्त मुकेश बाबू से पुष्प सवेरा अखबार के संवाददाता का परिचय पत्र एवं काफी संख्या में विजिटिंग कार्ड बरामद हुए हैं। उसने बताया कि वह तहसील बाह क्षेत्र में उक्त अखबार का स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर भी रहा है। नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के अपराध के साथ–साथ वह अपने आपको पुलिस से बचाये रखने हेतु अखबार के स्थानीय संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाये रखा। अभियुक्त के बताये अनुसार कि पुष्प सवेरा अखबार के प्रबन्धकों द्वारा यह बताने पर कि अब अखबार का संचालन बन्द होने जा रहा है, उसने अपनी जमा राशि वापस लेकर पुष्प सवेरा से रिश्ता तोड़ लिया।

अग्रिम कार्ययोजनाः–

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तगण से प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के अखबारों में विज्ञापन देकर जिस मोबाइल नम्बर का प्रयोग ठगी हेतु किया जा रहा है, वह इनके एक अन्य साथी ग्राम भगतनपुरा निवासी केशव के पास है। केशव सूचना पाकर फरार है, उसकी तलाश सघनता से की जा रही है। इसके अलावा और भी अन्य जितने अपराधियों के नाम इस प्रकार के अपराधों में प्रकाश में आये हैं, उनकी प्रत्येक दशा में शीघ्र गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जायेगा।

विवरण पुलिस टीम

1–निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह,
2–उप निरीक्षक श्री विनय भारद्वाज
3–एएसआईएम विशाल शर्मा
4–मु0आ0देवेन्द्र पाल सिंह भदौरिया,
5–मुख्य आरक्षी इन्द्रदेव
6–आरक्षी जितेन्द्र कुमार
7–आरक्षी सुशील कुमार
8–आरक्षी नवीन प्रताप सिंह
9–आरक्षी चालक श्यामवीर सिंह
साइबर क्राइम यूनिट, परिक्षेत्रीय कार्यालय, आगरा।

विवरण पारितोषिक–

गरीब एवं भोले–भाले बेरोजगारों के साथ ऐसी घृणित घटना कारित करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के सक्रिय सदस्यों को गिरफतार एवं उनसे इतनी बड़ी मात्रा में अपराध की सामग्री बरामद करने वाली साइबर क्राइम यूनिट, परिक्षेत्रीय कार्यालय आगरा की टीम को पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र द्वारा रु. 25,000/– की नकद धनराशि व प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

मीडिया सैल, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।